कार्यालय उ0प्र0 सूचना आयोग, RTI भवन, विभूति खण्ड, लखनऊ

पत्रांकः 111/उ0प्र0सू0आ0/रजिस्ट्रार/1(1)/2019 दिनांकः 30:जुलाई:2021

कार्यालय आदेश

विषयः—उ0प्र0 सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत शिकायतों/द्वितीय अपीलों/आदेश वापसी (पुनर्स्थापना) प्रार्थना पत्रों की पत्रावलियों में पारित अंतरिम/अंतिम आदेशों एवं प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों की प्रति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में प्रतिलिपि अनुभाग कार्यरत है। प्रतिलिपि अनुभाग की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश संख्या 20/संयुक्त रजि0/उ0प्र0सू0आ0/2017 दिनॉक 15 फरवरी, 2017 निर्गत किया गया था। तदोपरॉत उ0प्र0 सूचना आयोग में प्रस्तुत किये जाने वाली द्वितीय अपीलों/शिकायतों में आयोग द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश संख्या 47/रजि0/उ0प्र0रा0सू0आ0/2018 दिनॉक 15 फरवरी, 2018 निर्गत किया गया था।

उ0प्र0 सूचना आयोग में पक्षकारों द्वारा समय समय पर आयोग की पत्रावलियों से विभिन्न प्रपत्रों की प्रतिलिपियॉ जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। जबकि वर्तमान में केवल उ0प्र0 सूचना आयोग द्वारा अंतिम/अंतरिम आदेशों की प्रति उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। आयोग में पक्षकारों की सुविधा के दृष्टिगत् यह व्यवस्था की जाती है कि वे आयोग में प्रस्तुत द्वितीय अपीलों/शिकायतों/आदेश वापसी (पुनर्स्थापना) प्रार्थना पत्रों की पत्रावलियों से अंतिम/अंतरिम आदेशों के अतिरिक्त अन्य प्रपत्रों की नकलें भी उपरोक्त वर्णित कार्यालय आदेशों के अनुक्रम में अधोवर्णित नियमों के अन्तर्गत् प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्थायें की जाती हैं:—

1) पक्षकार शिकायतों/द्वितीय अपीलों की पत्रावलियों की तरह ही आदेश वापसी (पुनर्स्थापना) प्रार्थना पत्रों की पत्रावलियों से पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही अंतिम/अंतरिम आदेशों की नकल प्राप्त कर सकेंगे।

2) कार्यालय आदेश संख्या 20/संयुक्त रजि0/उ0प्र0सू0आ0/2017 दिनॉक 15 फरवरी,2017 में शिकायतों/द्वितीय अपीलों में आयोग द्वारा पारित आदेशों की नकल प्राप्त करने हेतु शुल्क रू0 10/— निर्धारित किया गया है। आयोग द्वारा पारित आदेशों में पृष्ठ संख्या सीमित होती है, परन्तु आयोग से प्राप्त किये जाने वाले अन्य प्रपत्रों की संख्या अत्यधिक भी हो सकती है। ऐसे में यह निर्धारित किया जाता है कि

आवेदक द्वारा जो अन्य प्रपत्र की नकल चाही गयी है, उनकी संख्या 5 पृष्ठ से अधिक होने पर, प्रत्येक पृष्ठ हेतु रु0 2/– प्रति पृष्ठ अलग से कोर्ट फीस स्टाम्प के माध्यम से शुल्क भुगतान करना होगा।

इस हेतु यह निर्धारित किया जाता है कि नकल आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक पत्रावली के निरीक्षण के उपरॉत अपने आवेदन में कुल वॉछित पृष्ठों की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करेगा। तद्नुसार शुल्क कोर्ट फीस स्टाम्प के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ नत्थी करेगा। यदि आयोग के सम्बन्धित कर्मचारी के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वॉछित पृष्ठों की संख्या आवेदन पत्र में उल्लिखित पृष्ठों की संख्या से अधिक है तब सम्बन्धित कर्मचारी के द्वारा अतिरिक्त शुल्क भुगतान सम्बन्धी आख्या अंकित करते हुए आवेदन पत्र नकल अनुभाग को वापस कर दिया जायेगा एवं नकल अनुभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवेदक को अतिरिक्त शुल्क भुगतान हेतु अवगत् कराया जायेगा।

3) पक्षकार आयोग में प्रस्तुत शिकायतों/द्वितीय अपीलों/आदेश वापसी (पुनर्स्थापना) प्रार्थना पत्रों की पत्रावलियों में से अन्य किसी प्रपत्र की नकल भी उपरोक्त वर्णित कार्यालय आदेशों के अनुक्रम में प्राप्त कर सकेगें। परन्तु यह सुविधा निम्न अपवादों के अधीन रहेगीः–

क) किसी ऐसे दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं की जा सकेगी, जो स्वयं ही प्रतिलिपि हो। अर्थात् केवल ऐसे दस्तावेजों की प्रति निर्गत होगी जो कि मूल रूप में आयोग की पत्रावली में प्रस्तुत किये गये हों।

ख) किसी ऐसे दस्तावेज की नकल नहीं प्राप्त की जा सकेगी जो कि रिकार्ड का भाग नहीं है।

यदि कोई पक्षकार किसी ऐसे दस्तावेज की प्रति चाहता है जो उपरोक्त वर्णित अपवादों के अन्तर्गत् आता है तो पक्षकारों की सुविधा के दृष्टिगत् यह व्यवस्था की जाती है कि ऐसे दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि निर्गत नहीं की जायेगी, अपितु नकल अनुभाग से ऐसे दस्तावेजों की प्रति ऐसी मुहर लगाते हुए कि "**प्रति, जैसा कि पक्षकारों द्वारा आयोग में प्रस्तुत की गयी**" निर्गत की जायेगी ।

4) यदि किसी प्रकरण में पक्षकारों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई नकल की मॉग की जाती है तब पक्षकारों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को भी आयोग के प्रावधानों के अन्तर्गत् नकल की प्रति इस शर्त के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि वह नकल हेतु दिये गये आवेदन

में यह तथ्य स्पष्ट करेगा कि वह किस उद्देश्य से नकल की प्रति की मॉग कर रहा है एवं पक्षकारों से भिन्न अन्य व्यक्ति पर यह बाध्यता होगी कि वह आयोग द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य से नकल जारी किये जाने पर केवल उसी उद्देश्य के लिये ही नकल का उपयोग कर सकेगा, जिसका उल्लेख उसने अपने नकल आवेदन में किया है।

5) यदि किसी विभाग द्वारा राज्य सूचना आयोग के किसी आदेश की प्रति मॉगी जा रही हो तो उस विभाग के कार्यालय अध्यक्ष या अधिकृत व्यक्ति को सूचना बिना शुल्क दी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग में प्रस्तुत द्वितीय अपीलों/शिकायतों/आदेश वापसी (पुनर्स्थापना) प्रार्थना पत्रों में नकल जारी किये जाने की व्यवस्था जो पूर्व में जारी कार्यालय आदेश 20/संयुक्त रजि0/उ0प्र0सू0आ0/2017 दिनॉक 15 फरवरी, 2017 एवं कार्यालय आदेश संख्या 47/रजि0/उ0प्र0रा0सू0आ0/2018 दिनॉक 15 फरवरी, 2018 द्वारा स्थापित की गयी है, यथावत् प्रभावी रहेगी।

तद्नुसार पूर्व में प्रचलित नकल आवेदन का प्रारूप परिवर्तित किया गया है जो इस कार्यालय आदेश के साथ परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है।

(प्रशान्त बिलगैयॉ)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1) निजी सचिव, मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को इस अनुरोध के साथ कि वह मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
2) निजी सचिव, मा0 राज्य सूचना आयुक्तगण को इस अनुरोध के साथ कि वह मा0 राज्य सूचना आयुक्तगण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
3) सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग।
4) उपसचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग।
5) प्रभारी प्रतिलिपि अनुभाग को पालनार्थ।
6) प्रभारी, अभिलेखागार अनुभाग को पालनार्थ
7) सम्बन्धित अहलमद, समस्त सुनवाई कक्ष।
8) नजारत अनुभाग को मुहर की व्यवस्था हेतु

30-07-2021
(अंकुर गर्ग)
संयुक्त रजिस्ट्रार

परिशिष्ट–1

शिकायत/द्वितीय अपील/पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र में पारित अंतिम/अंतरिम आदेश एवं अन्य प्रपत्र की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र

रु0 10/– कोर्ट फीस स्टाम्प यहॉ नत्थी करें (चिपकायें नहीं)

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0सूचना आयोग,
लखनऊ।

कार्यालय प्रयोग हेतु

नकल प्रार्थना पत्र पंजीकरण सं0	
दिनॉक	

महोदय,

कृपया प्रार्थी को निम्न वर्णित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें:–

1	शिकायत/द्वितीय अपील संख्या/ आदेश वापसी (पुनर्स्थापना) प्रार्थना पत्र संख्या	:
2	शिकायत कर्ता/अपीलकर्ता का नाम	:
3	जन सूचना अधिकारी का पदनाम व पता	:
4	वाद निर्णीत अथवा अनिर्णीत	:
5	मा0 राज्य सूचना आयुक्त का नाम जिनके यहॉ मामला विचाराधीन है या जिनके द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया ।	:
6	आदेश जिसकी प्रतिलिपि वॉछित है, का दिनॉक एवं प्रकार (अंतरिम/अंतिम)	:
7	अन्य प्रपत्र/अभिलेख जो वॉछित हैं का दिनॉक एवं विवरण (पृष्ठ संख्या सहित)	
8	क्या आवेदन पक्षकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यदि हॉ तो प्राधिकार–पत्र संलग्न करें	:
9	क्या नकल डाक द्वारा वॉछित है (हॉ/नहीं) (यदि हॉ तो आवेदन 4.5x10 इंच आकार का लिफाफा, जिस पर उसका पूर्ण डाक पता लिखा हो, संलग्न करें तथा उसका विवरण सामने अंकित करें। यदि पंजीकृत डाक हेतु डाक टिकट पर्याप्त नहीं पाए गए तो साधारण डाक से नकल भेजी जायेगी।	:

मैं .....आवेदक, घोषित करता हूँ कि मेरे अथवा मेरे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त आदेश/प्रपत्र जिसकी नकल चाही गयी है, की नकल पूर्व में एक से अधिक बार प्राप्त नहीं की गयी है। अन्य प्रपत्र/अभिलेख (पृष्ठ सं0.....) हेतु वॉछित शुल्क (रु0.....) कोर्ट फीस स्टाम्प के माध्यम से मेरे द्वारा अदा कर दिया गया है।

आवेदन की तिथि .....

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम व
पता तथा मोबाइल नं0